न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– श्री पर्वत सिह चुण्डावत आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः– 04 / 2023

तारीख दायर–03.03.2023

तारीख– निर्णय–30.8.2024

1. श्री प्रकाश पुत्र मिट्ठु लाल चौधरी निवासी कालीभीत तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

.......वादीगण

बनाम

1. श्री नन्द लाल पुत्र नारायण वेदनाई निवासी कालीभीत तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
2. श्री शंकरलाल पुत्र नारायण वेदनाई निवासी कालीभीत तहसील सलुम्बर जिला सलुम्बर (राज.)
3. श्री जगदीश पुत्र फतहलाल कलाल निवासी कालीभीत तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
4. श्री मोतीलाल पुत्र प्रभु वेदनाई निवासी कालीभीत तहसील सलुम्बर जिला सलुम्बर (राज.)
5. श्री सवाईलाल पुत्र प्रभु वेदनाई निवासी कालीभीत तहसील सलुम्बर जिला सलुम्बर (राज.)
6. श्री रमेंश पुत्र प्रभु वेदनाई निवासी कालीभीत तहसील सलुम्बर जिला सलुम्बर (राज.)
7. भूमिधारी जरिये तहसीलदार लसाडिया।

.........प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट

उपस्थित– वादी की ओर से– श्री पुष्कर लाल मीणा

प्रतिवादी की ओर से– एक तरफा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लसाडिया, जिला सलुम्बर

निर्णय

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि मौजा कालीभीत पटवार क्षेत्र कालीभीत भू.अ.निरीक्षक क्षैत्र कालीभीत तहसील लसाडिया के खाता संख्या नया 330 व पुराना 286 के आराजी नम्बर 1031 रकबा 0.1512 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त आराजीयात भूमि पर वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त स्वामित्व खातेदार होकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादी एंव प्रतिवादीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद होने से आये दिन कृषि कार्य करने में बाधा उत्पन्न हो रही है साथ ही मौके पर मौखिक विभाजन होने से सीमा को लेकर विवाद होता रहता है। वादी द्वारा प्रतिवादीगणो को भूमि के विभाजन हेतु कई मर्तबा निवेदन किया, परन्तु प्रतिवादीगणों द्वारा विभाजन किये जाने में कोई तत्परता नही दिखाने से वादी को माननीय न्यायालय आप में उक्त वाद संस्थित करना आवश्यक होने से पेश किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन की डिक्री पारित किया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः निवेदन किया गया कि वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर उक्त आराजी का विधिक विभाजन बाई मिट्स एण्ड बांउडस के आधार पर किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया, जिला सलुम्बर (राज.)

Scanned with CamScanner

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिरटर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन मय नकल वाद पत्र के तलब किये गये। प्रतिवादीगणो द्वारा प्रकरण में जवाव पेश नही किये जाने से प्रतिवादीगणों का जवाब बन्द किया गया व प्रतिवादीगण वावजूद सूचना के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। तत्पश्चात् प्रकरण में विद्धान अधिवक्ता वादी की एक तरफा बहस सुनी गई । विद्धान अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वही कथन कहै है, जो अपने वादपत्र में अंकित किये है। हमनें विद्धान अधिवक्ता वादी की एक तरफा बहस पर मनन, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जमाबन्दी के अवलोकन से वादी एवं प्रतिवादीगणो वादग्रस्त आराजियात के संयुक्त खातेदार है। वादी वादग्रस्त आराजियात का बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन चाहते है। जिसमे प्रतिवादीगण को भी भूमि के विभाजन में कोई आपत्ती नही है। उक्त तथ्यों के आधार पर वादीया का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीया का वाद साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है। एवं मौजा कालीभीत पटवार क्षेत्र कालीभीत तहसील लसाडिया के खाता संख्या नया 330 व पुराना 286 के आराजी नम्बर 1031 रकबा 0.1512 हैक्टेयर , कुल किता 01 कुल रकबा 0.1512 भूमि का पक्षकारान के मध्य अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के सिद्वान्त के आधार पर बाईमिट्स एण्ड बाउड्स के अनुसार विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार लसाडिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.08.2024 .को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया सलुम्बर
उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया, जिला सलुम्बर (राज.)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लसाडिया, जिला-सलूम्बर

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

वाद डिक्री

पीठासीन अधिकारी:– श्री पर्वत सिह चुण्डावत आर.ए.एस
प्रकरण संख्या:– 04 / 2023

तारीख दायर–03.03.2023
तारीख– निर्णय–30.8.2024

1. श्री प्रकाश पुत्र मिट्ठु लाल चौधरी निवासी कालीभीत तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

........वादीगण

बनाम

1. श्री नन्द लाल पुत्र नारायण वेदनाई निवासी कालीभीत तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
2. श्री शंकरलाल पुत्र नारायण वेदनाई निवासी कालीभीत तहसील सलुम्बर जिला सलुम्बर (राज.)
3. श्री जगदीश पुत्र फतहलाल कलाल निवासी कालीभीत तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
4. श्री मोतीलाल पुत्र प्रभु वेदनाई निवासी कालीभीत तहसील सलुम्बर जिला सलुम्बर (राज.)
5. श्री सवाईलाल पुत्र प्रभु वेदनाई निवासी कालीभीत तहसील सलुम्बर जिला सलुम्बर (राज.)
6. श्री रमेंश पुत्र प्रभु वेदनाई निवासी कालीभीत तहसील सलुम्बर जिला सलुम्बर (राज.)
7. भूमिधारी जरिये तहसीलदार लसाडिया।

............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट

उपस्थित– वादी की ओर से– श्री पुष्कर लाल मीणा
प्रतिवादी की ओर से– एक तरफा

पत्रावली अन्तिम निपटारे के लिये आज दिनांक 30.08.2024 को प्रस्तुत होने पर वादी का वाद बहक वादी डिक्री किया जाता है एवं मौजा कालीभीत पटवार क्षेत्र कालीभीत भू. अ.निरीक्षक क्षेत्र कालीभीत के खाता संख्या नया 330 व पुराना 286 के आराजी नम्बर 1031 रकबा 0.1512 हैक्टेयर , कुल किता 01 कुल रकबा 0.1512 भूमि का पक्षकारान के अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के सिद्वान्त के आधार पर बाईमिट्स एण्ड बाउडृस के अनुसार विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार लसाडिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया, जिला सलुम्बर (राज.)

Scanned with CamScanner